

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ 2014 / अलेसे-III /

8070

दिनांक 27-1-15

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(II) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ-2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 22.01.2015 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा दी जाती है:-

क.स	नाम लेखाकर्मियों सर्वश्री	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जायेगा
		कब से कब तक	
1	2	3	4

सहायक लेखाधिकारी-I

1	अशोक कुमार गुप्ता	01-12-14 to 22-12-14	निदेशक, मेनपावर, आयोजना विभाग, जयपुर
---	-------------------	----------------------	--------------------------------------

सहायक लेखाधिकारी-II

1	अशोक कुमार गुप्ता	27-11-14 to 23-12-14	निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर
2	कमलेश शिवरायन	1-12-14 to 23-12-14	सहायक निदेशक, कृषि(विस्तार) चिडावा (झुन्डू)
3	दीपक कुमार सिंघल	2-12-14 to 23-12-14	मुख्य निरीक्षक, फौवट्री एवं बायलस, जयपुर
4	मौगू राम	9-12-14 to 23-12-14	आबकारी निरोधक दल, जयपुर शहर, जयपुर
5	संदीप भारद्वाज	11-12-14 to 23-12-14	निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0जयपुर

कनिष्ठ लेखाकार

1	कमल कुमार मनोद्या	8-12-14 to 23-12-14	कोषालय, अजमेर
---	-------------------	---------------------	---------------

(भास्कर शर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ-2014 / अलेसे-III /

8071-8087

दिनांक: 27-1-15

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।(वेबसाइट से)
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन-लेखा अनुभाग) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।
3. ए.सी.पी(उपनिदेशक(आईटी) वित्त भवन, कार्यालय हाजा जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. सहायक निदेशक,अलेसे-I / II / III मय अतिरिक्त प्रतियों निजी पत्रावली हेतु
5. श्री _____ सहायक लेखाधिकारी-I / II / क0 लेखाकार कार्यालय- _____ को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग / कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।(वेबसाइट से)
6. य0 निजी सहायक,निदेशक
7. निजी पत्रावली

(कजोड मल भीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)